कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री दीपक कुमार ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- सर्वश्री ब्रास हैण्डीकाफ्ट्स मैन्यूफैक्चर्रस एसोसियेशन ,अलीगढ़।

प्रा0प0सं0- **307/2008**

प्रार्थी की ओर से- श्री सुशील मित्तल,प्रेसीडेन्ट ब्रास हैण्डीकाफ्ट्स मैन्यूफैक्चर्रस एसोसियेशन, अलीगढ़।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगतनिर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 21-6-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें पूजा की पीतल की मूर्तियों पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2- ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर,अलीगढ़ से प्राप्त आख्या में उल्लेख किया गया है कि वैट अधिनियम की अनुसुची-2 के भाग-क के कमांक-5 के अन्तर्गत पीतल की मूर्तियों पर 4 प्रतिशत की दर से कर देयता है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री सुशील मित्तल,प्रेसीडेन्ट ब्रास हैण्डीकाफ्ट्स मैन्यूफैक्चर्रस एसोसियेशन ,अलीगढ़ उपस्थित हुयें ,बताया कि वाणिज्य कर अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार की मूर्तियों को करमुक्त की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि यह हैण्डीकाफ्ट मूर्ति है एवं वैट अधिनियम के अन्तर्गत अनुसुची-2 के भाग-क के कमांक-5 में पीतल की मूर्तियों पर 4 प्रतिशत की दर से कर देयता है। जब कि हैण्डीकाफ्ट पर वैट अधिनियम की अनुसुची-1 के कमांक 49 के अन्तर्गत शून्य करदेयता है। चूंकि करदाताओं द्वारा जिन मूर्तियों का कारोबार किया जाता है उसका निर्माण हाथ से होता है । अतः इस प्रकार की मूर्तियों पर हैण्डीकाफ्ट के अन्तर्गत शून्य करदेयता होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा निर्माण सम्बन्धी फोटो व सीडी प्रस्तुत की गयी ।

4- मैनें व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों,प्राप्त विभागीय आख्या का अवलोकन किया। वैट अधिनियम की अनुसुची-2 के भाग-क के कमांक-5 पर निम्न प्रविष्टि है :-

5.	Marble goods; **deepak made of brass & copper; statue made of brass; woolen carpet; cup, trophy and shield; scissor, ustra used by barbers; padlock; Rampuri chakoo.**

उपरोक्त प्रविष्टि में पीतल की मूर्तियाॅ सम्मिलित है। पीतल की मूर्तियो के लिये अधिनियम में करदायित्व के सम्बन्ध में विशिष्ट रुप से करदायित्व 4 प्रतिशत की दर से निर्धारित किया गया है तो इसे हैण्डीकाफ्ट की प्रविष्टि में मानना किसी भी प्रकार तर्क संगत नहीं है । अतः पीतल की मूर्तियों पर वैट अधिनियम की अनुसुची-2 के भाग-क के कमांक-5 के अनुसार 4 प्रतिशत की दर से कर देयता है।

5- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

ह0 2.9.08

दिनांक :: 2, सितम्बर,2008

(दीपक कुमार)

कमिश्नर वाणिज्य कर.